न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/59 /18	13.04.2018	29.06.2018

उनवान

1. मौजी उर्फ मौज खां पुत्र छोटे खां,
2. सुलेमान पुत्र छोटे खां,
3. निजर खां पुत्र छोटे खां,
4. जस्सु उर्फ जसमाल पुत्र छोटे खां,
5. निजरी पुत्री छोटे खां,
6. सलेमी पुत्री छोटे खां,
7. बन्तो पुत्री छोटे खां,
8. बसीरी पुत्री छोटे खां जाति मेवान निवासियान ग्राम बेरा तह0 रामगढ जिला अलवर।

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिलाधीश महोदय, अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ जिला अलवर।

..............असल प्रतिवादीगण

1. अकबरी पत्नी सुल्तान पुत्र वधु छोटे खां
2. मोहमदीन पुत्र सुल्तान पौत्र छोटे खां
3. सब्बीर पुत्र सुल्तान
4. कबीर पुत्र सुल्तान
5. इरफान पुत्र सुल्तान
6. मैमूना पुत्री सुल्तान
7. उमरबी पुत्री सुल्तान
8. सुमरबी पुत्री सुल्तान
9. रहीसन पुत्री सुल्तान
10. खुर्शीदन पुत्री सुल्तान
11. साजिदा पुत्री सुल्तान
12. हंसीरा पत्नी ईसमाईल खां पुत्र वधु छोटे खां
13. सलामु पुत्र ईसमाईल खां पौत्र छोटे खां
14. जाबिद पुत्र ईसमाईल खां पौत्र छोटे खां
15. नवाब पुत्र ईसमाईल खां
16. रमजान पुत्र ईसमाईल खां
17. वरीसा पुत्री ईसमाईल खां
18. सब्बा उर्फ सबाना पुत्रीयान ईसमाईल खां जाति मेव निवासियान ग्राम बेरे तहसील रामगढ जिला अलवर

....................तरतीबी प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 388 मिन रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा व जिसके 2058 में हाल खसरा नम्बर 534 मिन रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा व जिसके अब वर्तमान में हाल खसरा नम्बर 358 रकबा 0.09, 359 रकबा 0.11, 360 रकबा 0.11, 361 रकबा 0.28 हैक्ट0 व इसी प्रकार अराजी खसरा नम्बर साबिक 277 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 222, 223 रकबा 4 बिस्वा जिसके 2058 में हाल खसरा नम्बर 370 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा जिसके अब वर्तमान में हाल खसरा नम्बर 574 रकबा 0.37 व इसी प्रकार आराजी साबिक खसरा नम्बर 353 मिन रकबा 2 बीघा सम्वत 2058 में हाल खसरा नम्बर 487 रकबा 2 बीघा जिसके अब वर्तमान में हाल खसरा नम्बर 305 रकबा 0.08, 306 रकबा 0.09, 307 रकबा 0.08, 308 रकबा 0.26 हैक्ट0 कायम हुए है व इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 415 मिन रकबा 1 बीघा जिसके सम्वत 2058 में हाल खसरा नम्बर 570 मिन रकबा 1 बीघा जिसके अब वर्तमान में हाल खसरा नम्बर 177 रकबा 0.12 हैक्ट0 178 रकबा 0.13 हैक्ट0 कायम हुए है, वाके ग्राम बेराबास तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी में से आराजी खसरा नम्बर 358, 359, 360, 361 का हम वादीगण को कस्टोडियन गैरखातेदार दर्ज किया हुआ है व इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 177, 178 में हम वादीगण को 1/10 हिस्सा का कस्टोडियन गैरखातेदार दर्ज कर रखा है बाकी समस्त आराजी में हमको काबिज काश्तकार गैरखातेदार दर्ज किया हुआ है। विवादित आराजी हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के बुर्जुगान की मौरूसी जमीन है और जिस पर हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने बुर्जुगान के जमाने से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है, और काबिज है। और विवादित आराजी में से खाता नम्बर 105 के 2/3 भाग व खाता सं0 106 की आराजी का 1/10 भाग कस्टोडियन सम्वत 2020 में जो दर्ज कर दिया है वोह गलत प्रकार से दर्ज किया है विवादित आराजी कभी भी कस्टोडियन की आराजी नही रही। हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने बुर्जुर्गो के जमाने से काबिज है और काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी में हम वादीगण सं0 1 ला0 8 का 8/10 भाग व तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 11 का 1/10 भाग व तरतीबी प्रतिवादी सं0 12 ला0 18 का 1/10 भाग और इसी प्रकार हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण विवादित आराजी का काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

है। विवादित आराजी पर हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का एडवर्स पजेशन के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज किया जावें।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि डिक्री बाबत इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण विरूद्ध असल प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर यह करार दिया जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 358 रकबा 0.09, 359 रकबा 0.11, 360 रकबा 0.11, 361 रकबा 0.28, 177 रकबा 0.12, 178 रकबा 0.13, 155 रकबा 0.18, 305 रकबा 0.08, 306 रकबा 0.09, 307 रकबा 0.08, 308 रकबा 0.26 हैक्ट0 वाके ग्राम बेरा तथा खसरा नम्बर 574 रकबा 0.37 हैक्ट0 वाके ग्राम बेराबास तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी सं0 1 ला0 8 को 8/10 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 11 का 1/10 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 12 ला0 18 का 1/10 हिस्से का काबिज काश्तकार खातेदार है और काबिज काश्तकार खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है। व विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 358, 359, 360, 361 के 2/3 भाग का व खसरा नम्बर 177, 178 के 1/10 भाग का गलत इन्द्राज जो कस्टोडियन का हो रहा है उसे दुरूस्त कराने के अधिकारी है इसी अनुसार दुरूस्त किया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से तामिल बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही हुए।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ में दिनांक 29.06.2018 को पेश हुई। वादीगण उपस्थित हुआ। वादीगण को सुना गया।

पत्रावली का राजस्व लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ में दिनांक 29.06.2018 को अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से विवादित आराजी में से आराजी खसरा नम्बर 358, 359, 360, 361 का वादीगण को कस्टोडियन गैरखातेदार दर्ज किया हुआ है व इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 177, 178 में वादीगण को 1/10 हिस्सा का कस्टोडियन गैरखातेदार दर्ज कर रखा है बाकी समस्त आराजी में वादीगण को काबिज काश्तकार गैरखातेदार दर्ज किया हुआ है। विवादित आराजी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के बुर्जुगान की मौरूसी जमीन है और जिस पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने बुर्जुगान के जमाने से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है, और काबिज है। और विवादित आराजी में से खाता नम्बर 105 के 2/3 भाग व खाता सं0 106 की आराजी का 1/10

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर) राज0

भाग कस्टोडियन सम्वत 2020 में जो दर्ज कर दिया है वोह गलत प्रकार से दर्ज किया है विवादित आराजी कभी भी कस्टोडियन की आराजी नही रही। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने बुर्जुर्गो के जमाने से काबिज है और काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त मौके पर मौजूद है। इसलिए विवादित आराजी पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादीगण का वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 358 रकबा 0.09, 359 रकबा 0.11, 360 रकबा 0.11, 361 रकबा 0.28, 177 रकबा 0.12, 178 रकबा 0.13, 155 रकबा 0.18, 305 रकबा 0.08, 306 रकबा 0.09, 307 रकबा 0.08, 308 रकबा 0.26 हैक्ट0 वाके ग्राम बेरा तथा खसरा नम्बर 574 रकबा 0.37 हैक्ट0 वाके ग्राम बेराबास तहसील रामगढ जिला अलवर के 1/2 हिस्सा में से वादी सं0 1 ला0 8 को 8/10 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 11 का 1/10 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 12 ला0 18 का 1/10 हिस्से का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 358, 359, 360, 361 के 2/3 भाग का व खसरा नम्बर 177, 178 के 1/10 भाग का गलत इन्द्राज कस्टोडियन का हो रहा है उसे दुरूस्त कर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को हिस्सानुसार खातेदार दर्ज करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू		तारीख निर्णय
1/59 /18	13.04.2018	(पर्चा डिक्री)	29.06.2018

उनवान

1. मौजी उर्फ मौज खां पुत्र छोटे खां,
2. सुलेमान पुत्र छोटे खां,
3. निजर खां पुत्र छोटे खां,
4. जस्सु उर्फ जसमाल पुत्र छोटे खां,
5. निजरी पुत्री छोटे खां,
6. सलेमी पुत्री छोटे खां,
7. बन्तो पुत्री छोटे खां,
8. बसीरी पुत्री छोटे खां जाति मेवान निवासियान ग्राम बेरा तह0 रामगढ जिला अलवर।

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिलाधीश महोदय, अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ जिला अलवर।

...............असल प्रतिवादीगण

1. अकबरी पत्नी सुल्तान पुत्र वधु छोटे खां
2. मोहमदीन पुत्र सुल्तान पौत्र छोटे खां
3. सब्बीर पुत्र सुल्तान
4. कबीर पुत्र सुल्तान
5. इरफान पुत्र सुल्तान
6. मैमूना पुत्री सुल्तान
7. उमरबी पुत्री सुल्तान
8. सुमरबी पुत्री सुल्तान
9. रहीसन पुत्री सुल्तान
10. खुर्शीदन पुत्री सुल्तान
11. साजिदा पुत्री सुल्तान
12. हंसीरा पत्नी ईसमाईल खां पुत्र वधु छोटे खां
13. सलामु पुत्र ईसमाईल खां पौत्र छोटे खां
14. जाबिद पुत्र ईसमाईल खां पौत्र छोटे खां
15. नवाब पुत्र ईसमाईल खां
16. रमजान पुत्र ईसमाईल खां
17. वरीसा पुत्री ईसमाईल खां
18. सब्बा उर्फ सबाना पुत्रीयान ईसमाईल खां जाति मेव निवासियान ग्राम बेरे तहसील रामगढ जिला अलवर

.....................तरतीबी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 358 रकबा 0.09, 359 रकबा 0.11, 360 रकबा 0.11, 361 रकबा 0.28, 177 रकबा 0.12, 178 रकबा 0.13, 155 रकबा 0.18, 305 रकबा 0.08, 306 रकबा 0.09, 307 रकबा 0.08, 308 रकबा 0.26 हैक्ट0 वाके ग्राम बेरा तथा खसरा नम्बर 574 रकबा 0.37 हैक्ट0 वाके ग्राम बेराबास तहसील रामगढ जिला अलवर के 1/2 हिस्सा में से वादी सं0 1 ला0 8 को 8/10 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 11 का 1/10 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 12 ला0 18 का 1/10 हिस्से का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 358, 359, 360, 361 के 2/3 भाग का व खसरा नम्बर 177, 178 के 1/10 भाग का गलत इन्द्राज कस्टोडियन का हो रहा है उसे दुरूस्त कर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को हिस्सानुसार खातेदार दर्ज करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)